न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आई०ए०एस०

नामा० अपील सं० 10/2021

राम् पुत्र रेवडया जाति कोली निवासी सराय तहसील दौसा जिला दौसा

..अपीलांट

बनाम

1. भूरा पुत्र रेवडया जाति कोली निवासी सराय तहसील दौसा जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा

..रेस्पो०

अपील विरुद्ध नामान्तरण सं० 42 दिनांक 29.06.1989 राजस्व अभियान कैम्प द्वारा तस्दीक तहसीलदार दौसा

उपस्थित–1. श्री जगजीवन राम, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं उपस्थित।
3. राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय दिनांकः 14.10.2022

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 29.06.1989 को ग्राम सराय का नामान्तरण सं० 42 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो० को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपील का इकबालिया जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि ग्राम सराय में आराजी खसरा नंबर 73 से 75 कुल रकबा 1.17है. भूमि स्थित है जिसकी खातेदारी पूर्व में रेवडया, रामचन्द्र, रामकुंवार पिसरान जन्सी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। रेवडया के स्वगर्वास होने पर राजस्व कैम्प में पटवारी हल्का ने विरासत का नामान्तरण रामकिशन, भूरा पि० रेवडया, पूनी बेवा रेवडया के नाम तस्दीक किया गया व पटवारी हल्का द्वारा जो नामान्तरण भरा गया उसमें प्रार्थी अपीलांट जिसका बचपन का नाम रामकिशन था, के नाम नामान्तरण खोला जाकर तस्दीक कर दिया गया जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम रामू पुत्र रेवडया है तथा राशन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज पहचान पत्र आदि में प्रार्थी अपीलांट का नाम रामू पुत्र रेवडया है तथा रामू व रामकिशन दोनों एक ही व्यक्ति है तथा बचपन व लाड प्यार का नाम घरवालों ने रामकिशन रख दिया था। इसी मानवीय भूल के कारण नामान्तरण में अपीलांट का नाम रामकिशन अंकित हो गया। अपीलांट एक देहाती अनपढ, अनुसचित जाति का व्यक्ति है जिसको राजस्व रिकार्ड नामान्तरण की कोई जानकारी नही थी। अब अपीलांट ने अपनी कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु जमाबंदी की नकल लेने पर पता चला कि खातेदारी व नामान्तरण में अपीलांट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:56:16 IST
Reason: SelfAttested

...निरंतर 2 पर

नाम रामकिशन पुत्र रेवड अंकित हो रहा है। तहसीलदार व पटवारी हल्का ने नामान्तरण खोलने व तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और ना ही अपीलांट के वास्तविक नाम के संबंध में कोई जांच की गई। नामान्तरण राजस्व अभियान में तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किया गया है, जहॉं पर काफी सारी भीड इकटठी होती है तथा जैसा पटवारी हल्का ने नामान्तरण भरा है वैसे ही तहसीलदार द्वारा तस्दीक कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामांतरण संख्या 42 विरासत वाके ग्राम सराय तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 29.6.1989 को निरस्त फरमाया जावे एवं तहसीलदार दौसा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि अपीलांट को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर एवं अपीलांट के दस्तावेजों की जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किया गये नामान्तरण में सहवन से नाम रामू के स्थान पर राजकिशन दर्ज हो गया होगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट को स्वयं को ध्यान में रखकर उक्त कार्यवाही नामांतरण तस्दीक होने से पूर्व में ही करवानी चाहिए थी, फिर भी यदि त्रुटि केवल अपीलांट के नाम के हद तक ही है, तो तहसीलदार दौसा को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

Web Copy - Not Official

रेस्पोडैन्ट संख्या 02 ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट का नाम रामकिशन के स्थान पर रामू किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 29.6. 1989 को ग्राम सराय का नामान्तरकरण सं0 42 विरासत के आधार पर भरकर तस्दीक कर दिया गया। उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरण में रेवडया के फौत होने पर रेवडया की विरासत रामकिशन, भूरा पि0 रेवडया, पूनी बेवा रेवडया के नाम नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जॉच एवं आदेशार्थ पेश किया गया। जिसके आधार पर मुताबिक पटवारी रिपोर्ट जॉच गिरदावर के अंकित कर तहसीलदार दौसा ने दिनांक 29.06.1989 को नामान्तरण स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरण के खिलाफ अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील दायर कर, अपीलांट रामकिशन का नाम रामू दर्ज करने की इस्तदुआ की गई। रेस्पोडैन्ट संख्या 02 द्वारा जवाब पेश कर अपीलांट का सही नाम रामकिशन के स्थान पर रामू दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अपीलांट के हक में नामांतरण संख्या 42 दिनांक 29.6.1989 को तस्दीक किया गया है, जिसमें अपीलांट का नाम रामू के स्थान पर रामकिशन गलत दर्ज कर दिया गया है। अपीलांट का सही व वास्तविक नाम राम है न कि रामकिशन। अपीलांट व रेस्पोडैन्ट संख्या 01 मृतक रेवडया के कानूनी वारिसान है। अपीलांट का सही नाम रामकिशन के स्थान पर रामू किये जाने में रेस्पोडैन्ट संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र,

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:56:16 IST
Reason: SelfAttested

...निरंतर 3 पर

पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, विधुत विपत्र, जातिप्रमाण पत्र, बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति आदि का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट का नाम रामू पुत्र रेवड अंकित है। हम प्रकरण में न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 42 वाके ग्राम सराय पर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.1989 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 14 अक्टूबर, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:56:16 IST
Reason: SelfAttested